134 30 व्यय प्रबंधन– मितव्ययिता के उपाय एवं व्यय के युक्तिकरण के संबंध में

अधोहस्ताक्षरी को उपरोक्त विषय पर व्यय विभाग के का. ज्ञा. सं. 7(1)/ई.समन्वय/14 दिनांक 29 अक्टूबर 2014 को एतद संलग्न करने और कहने का का आदेश प्राप्त हुआ है कि निर्देश केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम के व्यय पर आवश्यक परिवर्तनों सहित निर्देश प्रभावित होगें।

2. अत्यंत मितव्ययिता को सम्मेलन, सेमिनार/कार्यशालाएं/प्रदर्शनियां/मेले/यात्रा व्यय आदि के व्यय में अपनाया जाना होगा। चालू वर्ष में उक्त व्यय के बजट में 10 प्रप्रतिशत की कटौती करना अनिवार्य है। यदि हेतु कोई अलग बजट नहीं है तो इन मदों पर 10 प्रतिशत की कटौती पिछले वर्ष (2013–14) में इन मदों में वास्तविक किए गए व्यय के आधार पर की जाएगी।

3. केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम के मुख्य कार्यकारी अधिकारी इस कार्यालय ज्ञापन में निर्दिष्ट सुझाए गए उपायों के अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए जिम्मेदार होगें।

4. औद्योगिक विकास, व्यापार के विकास एवं मानव संसाधन के क्षमता निमार्ण जैसा कि उनके व्यापार योजना में निर्धारित है, के हित में जहां कहीं भी अनुदेशों में रियायत की आवश्यकता होगी, मामले के अनुसार उक्त को सार्वजनिक उद्यम विभाग के साथ साथ प्रशासनिक मंत्रालय के अनुमोदन से मान्य किया जाना चाहिए।

5. व्यय विभाग को का.ज्ञा.सं. 7(1)ई.समन्वय/14 दिनांक 29 अक्टूबर, 2014 में महारत्न एवं नवरत्न सीपीएसई के बोर्ड को डीपीई का.ज्ञा.सं. 22(1)/2009–जीएम दिनांक 4 फरवरी, 2010 एवं डीपीई ज्ञापन संख्या 11 (2)/97–वित्त दिनांक 22 जुलाई, 1997 के अनुसार मंडल स्तर से नीचे के पदों को भरने हेतु रियायत दी जा सकती है, जहां पर उक्त भर्ती उनके व्यापार योजना के तहत मामलों के अनुसार औद्योगिक विकास एवं व्यापार के विकास के हित में होगा।

6. नवरत्न सीपीएसई'ज द्वारा ई–7 एवं उससे ऊपर के स्तर के पदों की भर्ती प्रशासनिक मंत्रालय/विभागों के अनुमोदन के पश्चात की जा सकती है, जैसा कि डीपीई का. ज्ञा. सं. 16(11)/2008–जीएम में दिया गया है।

7. सभी प्रशासनिक मंत्रालयों/विभागों को अपने अंतर्गत आने वाले सभी केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों के लिए कड़ाई से अनुपालन हेतु उपयुक्त निर्देश जारी करने का अनुरोध किया जाता है।

8. यह भारी उद्योग एवं लोक उद्यम मंत्रालय के समेकित वित्त स्कंध के यू.ओ. सं. 573/वित्त–3 दिनांक 14.11. 2014 के परामर्श में जारी किया गया है।

9. ये निर्देश भारी उद्योग एवं लोक उद्यम मंत्री के अनुमोदन से जारी किए गए हैं।

विषयः– व्यय प्रबंधन–मितव्ययिता के उपाय एवं व्यय के युक्तिकरण के संबंध में

वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग द्वारा ''गैर–विकास कार्यों पर व्यय एवं प्राथमिक योजनाओं के लिए अतिरिक्त संसाधन जारी करने को ध्यान में रखकर समय–समय पर मितव्ययी निर्देश जारी किए गए हैं।" निर्देशों के पिछले समूह को बजट पारित करने के बाद सितम्बर, 2013 में जारी किया गया। उक्त उपाय सरकार की परिचालन क्षमता की सीमितता के बिना सरकारी अनुशासन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से किए जा रहें हैं। वर्तमान आर्थिक स्थिति को ध्यान में रखते हुए, व्यय के युक्तिकरण की आवश्यकता है और उपलब्ध संसाधनों को उपयुक्त बनाना है। इस उद्देश्य के साथ, आर्थिक विवेकीकरण एवं मितव्ययिता के लिए निम्नलिखित उपाय तुरंत प्रभावी होंगेः–

2.1 गैर–योजनागत व्यय में कटौतीः

वर्ष 2014–15 के लिए, प्रत्येक मंत्रालय/विभाग को ब्याज भुगतान, कर्ज की अदायगी, रक्षा पूंजी, वेतन, राज्यों के लिए पेंशन एवं वित्त आयोग अनुदान आदि को छोड़कर सभी गैर–योजनागत व्यय में 10 प्रतिशत की कटौती करना अनिवार्य होगा। व्यय के गैर–योजनागत मद जिस पर चालू वित्त वर्ष में कटौती करने की अनुमति दी गई है, के बढ़ाने हेतु वित्त का अन्य कोई प्रावधान नहीं होगा।

2.2 सेमिनार एवं सम्मेलनः

(i) आय का ज्यादातर सम्मेलन, सेमिनार/कार्यशालाएं/सम्मेलनों में देखा जाना होगा। केवल ऐसे सम्मेलनों, कार्यशालाओं, सेमिनारों आदि को जो वास्तव में अनिवार्य हों, आयोजित की जानी चाहिए, उनमें से भी बजटरी आवंटन (चाहे योजनागत हो या योजनेत्तर) में से 10 प्रतिशत की कटौती की जानी होगी।

(ii) विदेश में प्रदर्शनीयां/मेले/सेमिनार/सम्मेलन आयोजित करने की मनाही होगी, केवल व्यापार बढ़ाने के लिए आयोजित की गई प्रदर्शनीयों को छोड़कर।

(iii) पांच सितारा होटल में बैठकें आयोजित करने पर प्रतिबंध होगा, केवल विदेशी सरकारों या अंतर्राष्ट्रीय निकायों के साथ मंत्री प्रभारी या प्रशासनिक सचिव के स्तर की बैठकों को छोड़कर, जिसमें भारत एक

सदस्य है। प्रशासनिक सचिव को सलाह दी जाती है कि उक्त बैठकों का पांच सितारा होटल में आयोजन आय के साथ व्यय को ध्यान में रखकर किया जाए।

2.3 वाहन की खरीदः

रक्षा बलों, केन्द्रीय अर्धसैनिक बलों एवं सुरक्षा संबंधित संस्थानों के संचालन आवश्यकताओं के लिए नये वाहन खरीदने की स्वीकृति है। केवल अनुपयोगी घोषित हो चुके को छोड़कर अन्य वाहनों (स्टाफ कार सहित) की खरीद पर प्रतिबंध जारी रहेगी।

2.4 घरेलू एवं अंतर्राष्ट्रीय यात्राः

(i) यात्रा व्यय (घरेलू यात्रा व्यय एवं विदेशी यात्रा व्यय दोनों) नियमानुसार होने चाहिए ताकि सुनिश्चित हो कि प्रत्येक मंत्रालय द्वारा आवंटित बजट डीटीई/एफटीई (योजनागत व गैर–योजनागत दोनों) के तहत 10 प्रतिशत की अनिवार्य कटौती होने पर भी समान रहे। इस संबंध में पुनःसंशोधन या संवर्धन प्रस्ताव को अनुमोदित नहीं किया जाएगा।

(ii) वरिष्ठता के आधार पर विभिन्न श्रेणियों में हवाई यात्रा के मामले में, अधिकतम मितव्ययिता को बजट का ध्यान रखते हुए अपनाना होगा। यद्यपि, प्रथम श्रेणी में कोई बुकिगं नहीं होगी।

(iii) वीडीयो कॉन्फ्रेन्सिगं को प्रभावी तौर पर उपयोग किया जा सकता है। विदेश यात्रा पर मौजूदा सभी अनुदेशों का निष्ठापूर्वक पालन किया जा सकता है।

(iv) यात्रा के किराए के मामले में पात्र श्रेणी में उपलब्ध सबसे न्यूनतम हवाई किराए के टिकिट को खरीदना होगा। घरेलू/अंतर्राष्ट्रीय यात्रा पर साथी के लिए कोई भी मुफ्त टिकिट नहीं लिया जा सकता।

2.5 पदों का सृजन

(i) योजनागत एवं गैर–योजनागत पदों के सृजन पर प्रतिबंध है।

(ii) एक वर्ष से अधिक समय से रिक्त पद को पुनः जीवित नहीं किया जा सकेगा, केवल उन्हें छोड़कर जिसके लिए व्यय विभाग की पुष्टि प्राप्त करने के बाद, बहुत ही दुर्लभ एवं अपरिहार्य परिस्थितियां हों।

3. राज्यों, सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों एवं केन्द्र/राज्य/स्थानीय स्तर पर स्वायत्तशासी निकायों को वित्त प्रदान करने में अनुशासन का पालन करनाः

3.1 सहायता अनुदान का जारी करना, जीएफआर एवं व्यय विभाग के का. ज्ञा. सं. 7/(1)/ई–समन्वय/2012 दिनांक 14.11.2012 में निहित प्रावधानों के अनुसार ही होना चाहिए।

3.2 किसी भी मंत्रालय/विभाग द्वारा इस तरह की शर्तों पर कोई भी ढील देने पर किसी भी योजना के तहत कोई भी निधि हस्तांतरित नहीं की जाएगी (जैसे कि मैचिंग वित्तीयन)।

3.3 राज्य सरकारों को केन्द्र, केन्द्र प्रायोजित अथवा राज्य योजना के योजना गत व्यय का मासिक रिटर्न केन्द्र, केन्द्र प्रायोजित योजना के तहत सार्वजनिक खाते में बकाया राशि की रिपोर्ट के साथ संबंधित मंत्रालयों/विभागों को प्रस्तुत करना होगा। इस आवश्यकता को निष्ठापूर्वक लागू किया जा सकता है।

3.4 मुख्य लेखा नियंत्रक को भुगतान पूर्व जांच के चरण के रूप में उपरोक्त अनुपालनों को सुनिश्चित करना चाहिए।

4. व्यय की संतुलित गतिः

4.1 दिए गए निर्देशों के अनुसार, वित्तीय वर्ष के अंतिम तिमाही में अनुमानित बजट का 33 प्रतिशत (एक तिहाई) खर्च नहीं किया जा सकता। इसके अलावा, यह शर्त है कि, मार्च माह के दौरान अनुमानित बजट का 15 प्रतिशत तक ही का व्यय सीमित है। यहां पर जोर दिया जा सकता है कि 33 प्रतिशत एवं 15 प्रतिशत व्यय के प्रतिबंध दोनों योजना–वार के साथ साथ पूर्ण रूप में अनुदान की मांग पर भी लागू होगा, संशोधित अनुमान के लागू होने पर। जो मंत्रालय/विभाग मासिक व्यय योजना (एमईपी) के द्वारा लिए गए हैं उनको एमईपी का कड़ाई से पालन करना सुनिश्चित करना होगा।

4.2 यह भी मान्य किया जा सकता है कि वर्ष के माह में वास्तव में सवंर्धित वस्तुओं एवं सेवाओं के लिए भुगतान किया जाए और व्यय की प्रतिपूर्ती पहले ही की जा चुकी हो। इसलिए, निम्नलिखित को छोड़कर कोई भी राशि अग्रिम तौर पर (अंतिम माह में) जारी नहीं की जाएगीः

(i) विधिवत निष्पादित अनुबंधों की शर्तों के तहत ठेकेदारों को अग्रिम भुगतान किए जा सकते हैं ताकि

सरकार कानूनी और संविदात्मक दायित्वों पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं हो।

(ii) सेवा शर्तों के अनुसार या अनुकंपा आधार पर राहत एवं पुर्नवास के उपाय के रूप में सरकारी सेवकों या निजी व्यक्ति हेतु कोई भी ऋण या अग्रिम आदि।

(iii) वित्तीय सलाहाकार के अनुमोदन के साथ अन्य कोई विशेष मामला। यद्यपि, जानकारी के लिए उक्त मामलों की सूची व्यय विभाग को संबंधित वर्ष के अप्रैल माह तक वित्तीय सलाहाकार के माध्यम से प्रस्तुत करनी होगी।

4.3 वित्तीय वर्ष के अंतिम तिमाही विशेष तौर पर अंतिम माह के दौरान व्ययों की अधिकता से बचना होगा ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि सभी प्रक्रियाएं बिना किसी फालतू और निष्फल खर्चों के हुई हैं। वित्तीय सलाहाकारों को अपनी समीक्षा के दौरान विशेष रूप से अनुश्रवण करने का सुझाव दिया जाता है।

5. मदों में ऐसी कोई भी नयी वित्तीय वचनबद्धता नहीं होनी चाहिए जो संसद द्वारा अनुमोदित बजट में नहीं दिया गया हो।

6. ये निर्देश भारत सरकार द्वारा वित्तपोषित स्वायत्त निकायों के लिए भी लागू होंगें।

7. अनुपालन

मंत्रालय/विभागों के सचिव, जीएफआर के नियम 64 के अनुसार मुख्य लेखा अधिकारी होने के नाते उपरोक्त दिए गए उपायों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए पूर्ण रूप से जिम्मेदार होगें। वित्तीय सलाहाकार इन उपायों के साथ अनुपालनों को सुनिश्चित करने में संबंधित विभाग को सहायता करेगा और इन उपायों/दिशा निर्देशों पर तिमाही आधार पर प्रभारी मंत्री और वित्त मंत्रालय को पूर्ण रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा।

[डीपीई का. ज्ञा. सं. **7(1)/**ई. समन्वय**.2014**, दिनांक 29 अक्तूबर, 2014**]**

[डीपीई का. ज्ञा. सं. डीपीई**/3(4)/08-**वित्त, दिनांक 26 नवम्बर, 2014**]**

*****